रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 6, 2000/अग्रहायण 15, 1922
No. 280] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 6, 2000/AGRAHAYANA 15, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2000

विषय :—चीन जनवादी गणराज्य और यूरोपीय संघ क्षेत्र से कोलिन क्लोराइड के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करना।

सं० 59/1/2000-डीजीएडी.—मैसर्स वैम आर्गेनिक कैमिकल्स लि०, बड़ौदा ने घरेलू उद्योग की ओर से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1995 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष याचिका दायर की है जिसमें चीन जनवादी गणराज्य तथा यूरोपीय संघ क्षेत्र (जिन्हें इसमें संबद्ध देश कहा गया है) से कोलिन क्लोराइड के पाटन का आरोप लगाया गया है और पाटनरोधी जांच शुरू करने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. घरेलू उद्योग की हैसियत

यह याचिका मैसर्स वैम ओर्गेनिक कैमिकल्स लि0 द्वारा दायर की गई है जिनका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं0 1-ए, सैक्टर-16-ए,इंस्टीट्यूशनल एरिया, नौएडा-201301 है । याचिकाकर्त्ता मैसर्स वैम आर्गेनिक कैमिकल लि0 देश में कोलिन क्लोराइड के घरेलू उत्पादन के बहुत बड़े हिस्से का उत्पादन करता है । अतः याचिकाकर्त्ता घरेलू उद्योग की ओर से नियम 5(क) और(ख) तथा नियम 2(ख) के अनुसार याचिका दायर करने की हैसियत रखता है ।

3. शामिल उत्पादः

वर्तमान याचिका में शामिल उत्पाद संबंधित देशों के मूल का अथवा वहां से निर्यातित कोलिन क्लोराइड है (जिसे इसके बाद सम्बद्ध वस्तु कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमाशुल्क उपशीर्ष 2309.9001 और 2923.1001 के अंतर्गत वर्गीकृत है । तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से वर्तमान जांच के क्षेत्र में बाध्यकर नहीं है ।

4. संबंधित देश

याचिकाकर्त्ता ने चीन जनवादी गणराज्य तथा यूरोपीय संघ क्षेत्र (जन्हें इसके बाद सम्बद्ध देश कहा गया है) से कोलिन क्लोराइड के पाटन का आरोप लगाया है ।

5. समान वस्तुएं

याचिकाकर्त्ता ने दावा किया है कि उसके द्वारा उत्पादित माल तथा सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 2309.9001 और 2923.1001 के तहत वर्गीकृत वस्तुओं का कोई प्रतिस्थापन नहीं है तथा नियमो के अर्थों के भीतर इसे सम्बद्ध देशों से आयातित माल के समान वस्तु माना जाना चाहिए ।

6. सामान्य मूल्य

सामान्य मूल्य का उल्लेख परिकलित लागत के आधार पर किया गया है जिसमें चीन जनवादी गणराज्य के मामले में उचित समायोजन किए गए हैं और यूरोपीय संघ क्षेत्र के मामले में द्वितीयक स्रोतों का संदर्भ लिया गया है ।

7. निर्यात कीमत

याचिकाकर्त्ता ने द्वितीय स्रोतों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है जो भारत को सम्बद्ध माल की निर्यात कीमत की सूचना प्रदान करता है ।

8. डम्पिंग मार्जिनः

इस बात के प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य है कि सम्बद्ध देशों का सामान्य मूल्य उस मूल्य से बहुत अधिक है जिस पर इसे भारत को निर्यात किया गया था । इस बात से प्रथम दृष्ट्या संकेत मिलता है कि निर्यातकों द्वारा सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है ।

9. क्षतिः

क्षति के संबंध में विभिन्न मापदंड जैसे पाटित वस्तुओं से कीमतों में कमी आना, उत्पादन की लागत से कम मूल्य पर बिक्री जिससे प्रति इकाई हानि हुई, पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि, बाजार के हिस्से में कमी आदि प्रथम दृष्ट्या सामूहिक संचयी रुप से यह संकेत करते हैं कि

10. पाटनरोधी जांच शुरु करना

उपरोक्त पैराग्राफों को देखते हुए प्राधिकारी सम्बद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तुओं की कथित डम्पिंग होने, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच प्रारंभ करते हैं ।

11. जांच की अवधि

वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1.4.99 से 30.9.2000 तक की है ।

12. सूचना प्रस्तुत करना

उक्त देशों के निर्यातकों और भारत में ज्ञात आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है कि वे अपने विचार तथा संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित ढंग से निम्नलिखित को प्रस्तुत कर सकते हैं :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन
नई दिल्ली-110011

अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकती है ।

13. समय सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रुप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पंहुच जानी चाहिए । तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी ।

14. सभी हितबद्ध पक्षों को चाहिए कि वे पाटनरोधी नियम 7(2) के अनुसार गोपनीय आधार पर दी गई किसी भी सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करें । तथापि, यह बात नोट की जाए कि यह सूचना नियम 7(1) और (2) के अनुसार स्वीकार की जाएगी ।

15. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण निर्धारित समय-सीमाओं के समाप्त होने के बाद कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गऐ हैं ।

16. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा महत्वपूर्ण ढंग से जांच में बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिश कर सकता है ।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2000

Subject :—Initiation of Anit-Dumping Investigation concerning imports of Choline Chloride from Peoples Republic of China and Territory of European Union.

No. 59/1/2000–DGAD.—M/s. Vam Organic Chemicals Ltd., Baroda have filed a petition, on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on dumped articles and for determination of duty) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of Choline Chloride from PR China and Territory of European Union (herein referred to as subject countries) and have requested for Anti-Dumping Investigation and Levy of Anti-Dumping duties

2. **Domestic industry standing**: The petition has been filed by M/s Vam Organic Chemicals Ltd. having registered office at Plot No. 1-A, Sector-16-A, Institutional Area, Noida-201 301. M/s Vam Organic Chemicals Ltd., the petitioner accounts for a major proportion of the domestic production of Choline Chloride in the country. Therefore, the petitioner satisfies the standing to file the petition on behalf of the domestic industry as per Rule 5(a) and (b) and Rule 2 (b).

3. **Product involved**: The product involved in the present investigation is Choline Chloride (herein referred to as subject goods), originating in or exported from the subject countries and classified under Customs Sub-heading 2309.9001 and 2923.1001 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

4. **Countries involved**: The petitioner has alleged dumping of Choline Chloride from PR China and European Union (herein referred to as subject countries).

5. **Like articles:** The petitioner has claimed that the goods produced by them and as classified by Custom Tariff under head 2309.9001 and 2923.1001 have no substitute and, therefore, be treated as like articles to the goods imported from the subject countries within the meaning of the Rules.

6. **Normal value**: The normal value has been referenced on the basis of the constructed cost of production with appropriate adjustments for Peoples Republic of China and has been referenced on secondary sources for the Territory of European Union.

7. **Export Price**: The petitioner has claimed Export price based on secondary sources, which provide information on export price of subject goods to India.

8. **Dumping margin**: There is sufficient prima-facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the price at which it has been exported to India indicating prima-facie that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject countries.

9. **Injury**: Various parameters relating to injury such as price undercutting by dumped imports, sales below the cost of production resulting in per unit losses, increase in volume of dumped imports, loss of market share etc., prima-facie collectively and cumulatively indicate that the domestic industry has suffered material injury on account of dumping from subject countries.

10. **Initiation of Anti-Dumping investigation**: The authority in view of the foregoing paragraphs initiates anti-dumping investigation into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

11. **Period of investigation**: The period of investigation for the purpose of present investigation is 1.4.99 to 30.9.2000.

12. **Submission of informration**: The exporters in the said country and importers in India known to be concerned are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and make their views known to:-

The Designated Authority
Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Udyog Bhavan
New Delhi-110011.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

13. **Time limit:** Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than 40 days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers who are being addressed separately are however, required to submit the information within 40 days from the date of letter addressed to them separately.

14. All parties must provide a non-confidential summary of any information provided on a confidential basis in terms of Anti-Dumping Rule 7(2). Please, however, note that such information will be subject to acceptance in terms of Anti-Dumping Rule 7(1) and 7(2).

15. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties after expiry of time limits set.

16. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

L.V. SAPTHARISHI, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054